न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 82/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00124

1. हनुमान पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित —

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर

प्रतिवादी 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 5/2/21

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजीमाल ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास के खाता संख्या 194 नई की खसरा नबंर 292 रकबा 0.64 है0, खसरा नबंर 293 की रकबा 0.24 है0, खसरा नबंर 294 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 295 की 0.63 है0, खसरा नबंर 296 की 0.75 है0, खसरा नबंर 297 की 0.34 है0, किता 06 की रकबा 2.61 है0, आराजी स्थित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का नाम महावीर पुत्र बद्रीलाल दर्ज है तथा वादी का हिस्सा उक्त आराजी में 7/36 दर्ज है, वादी परिवार में सबसे छोटा पुत्र है इस कारण वादी को घर के सभी बडे सदस्य महावीर नाम से भी पुकारते हैं, जबकि प्रार्थी का नाम स्कूल रिकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड एवं आयकर विभाग के स्थाई लेखा संख्या आदि सरकारी दस्तावेजों में हनुमान पुत्र बद्रीलाल दर्ज है। तथा वादी का रिकार्डेड और वास्तविक नाम हनुमान ही है किन्तु वादी के पिताजी बद्रीलाल के फौत इंतकाल खुलवाते समय गांव के लोगों ने वादी का प्यार का नाम महावीर पुत्र बद्रीलाल दर्ज करवा दिया गया था इस कारण वादी के खाते की उपरोक्त वर्णित खाते की आराजी मे आज भी महावीर पि[illegible] ही दर्ज है। जब वादी के पिता का फोती इंतकाल में वादी का नाम हनुमान [illegible] गया उस समय वादी छोटा था तथा कुछ जानता भी नहीं था तथा जमाबंदी की नकलों की आवश्यकता भी [illegible] इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:44 IST
Reason: SelfAttested

Page no 1

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रण वादी की जानकारी में नहीं आया जब विभिन्न सरकारी योजनाओं में जमाबंदी व पहचान नाम में भिन्नता होने के कारण वादी किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है, इसक कारण वादी का अपने खाते की उपरोक्त वर्णित आराजी में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी राज्य सरकार को तलवी जारी की गई, राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ग्राम रूपाहेडा की आराजी खसरा नबंर 292 की रकबा 0.64 है0, खसरा नबंर 293 की रकबा 0.24 है0, खसरा नबंर 294 की 0.01 है0, खसरा नबंर 295 की 0.63 है0, खसरा नबंर 296 की 0.75 है0, खसरा नबंर 297 की 0.34 है0, कुल किता 06 की रकबा 2.61 है0, भूमि महावीर पुत्र बद्रीलाल धाकड सा0 रूपाहेडा के संयुक्त खाते दर्ज रिकार्ड है। यह कि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी महावीर के स्थान पर महावीर उर्फ हनुमान दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इससे राजहित प्रभावित नहीं होता है। वादी ने स्वयं का शपथ–पत्र, नरेश नागर पुत्र बाबूलाल निवासी रूपाहेडा का शपथ–पत्र, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड, भामाशाह कार्ड , राशन कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जिसमें वादी का नाम हनुमान पुत्र बद्रीलाल दर्ज है।

हमारे द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यों, जवाब सरकार, संलग्न दस्तावेजों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात हम ग्राम रूपाहेडा की आराजी खसरा नबंर 292 की रकबा 0.64 है0, खसरा नबंर 293 की रकबा 0.24 है0, खसरा नबंर 294 की 0.01 है0, खसरा नबंर 295 की 0.63 है0, खसरा नबंर 296 की 0.75 है0, खसरा नबंर 297 की 0.34 है0, कुल किता 06 की रकबा 2.61 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महावीर के स्थान पर महावीर उर्फ हनुमान दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता ग्राम रूपाहेडा की आराजी खसरा नबंर 292 की रकबा 0.64 है0, खसरा नबंर 293 की रकबा 0.24 है0, खसरा नबंर 294 की 0.01 है0, खसरा नबंर 295 की 0.63 है0, खसरा नबंर 296 की 0.75 है0, खसरा नबंर 297 की 0.34 है0, कुल किता 06 की रकबा 2.61 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महावीर के स्थान पर महावीर उर्फ हनुमान दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक ......9/........ को खुले ... में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:44 IST
Reason: SelfAttested

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:44 IST
Reason: SelfAttested

Page no 4

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

दावा मु.नं. 82/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00124

1. हनुमान पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर
प्रतिवादी 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

मुकदमा नं. 82/20 तारीख फैसला ..9|8|21..... न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम रूपाहेडा की आराजी खसरा नबंर 292 की रकबा 0.64 है0, खसरा नबंर 293 की रकबा 0.24 है0, खसरा नबंर 294 की 0.01 है0, खसरा नबंर 295 की 0.63 है0, खसरा नबंर 296 की 0.75 है0, खसरा नबंर 297 की 0.34 है0, कुल किता 06 की रकबा 2.61 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महावीर के स्थान पर महावीर उर्फ हनुमान दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..9.. माह ..8....सन्..2021 को जारी की गई।
मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:44 IST
Reason: SelfAttested

Page no 3